प्रेम सिंह मीणा, जिलाधिकारी, जमुई द्वारा दिनांक– 11.12.08 को जिला कल्याण कार्यालय, जमुई का कृत निरीक्षण संबंधी प्रतिवेदन।

1. प्रस्तावना : दिनांक 21.02.1991 को जमुई, मुंगेर जिला से पृथक होकर स्वतंत्र रूप से जिला के अस्तित्व में आया है। उक्त तिथि से अनुमंडल कल्याण कार्यालय जमुई उत्क्रमित होकर जिला कल्याण कार्यालय, जमुई के रूप में कार्यरत है। यह कार्यालय समाहरणालय भवन के निचले तल के पश्चिमी छोर पर अवस्थित है।

2. जिला कल्याण कार्यालय भवन तथा जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष का निरीक्षण : कार्यालय भवन के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई एक गोदरेज आलमारी के पेन्ट उखड़े हुए थे। अतः जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उन आलमारियों का पेन्ट कराएँ।

रैक पर काफी संख्या में के0के0एम0 कॉलेज, जमुई के छात्रों की छात्रवृति से संबंधित आवेदन पत्रों को रखा हुआ, पाया गया। निदेश दिया गया कि इन आवेदन पत्रों को दो–तीन दिनों के अन्दर डिस्पोजल कराएँ। इस क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय छात्रवृति समिति की बैठक दिनांक–19.12.08 को आहूत की जायेगी, जिसमें आवेदन पत्रों को निष्पादित किया जायेगा।

जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में प्लाईवुड के लगाये हुए पार्टीशन वॉल को हटाने का निदेश दिया गया ताकि कार्यालय कक्ष संकीर्ण न रहे। इसके अतिरिक्त कार्यालय कक्ष में अधिष्ठापित विद्युत मोटर पम्प को अन्य सुरक्षित स्थल (केबिन) अधिष्ठापित किया जा सके।

कार्यालय कक्ष में जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्य हेतु एक छोटा सा टेबुल रहने के कारण एक बड़ा टेबुल रखने हेतु निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त कार्यालय कक्ष में पड़ी हुई अनावश्यक सामग्रियों को अविलंब हटाने का निदेश दिया गया।

3. प्रभार : श्री भरत राम दिनांक 30.07.07 से कार्यकारी जिला कलयाण पदाधिकारी, जमुई के प्रभार में हैं। इनके पूर्व श्री ललन कुमार सिंह कार्यकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई के प्रभार में थे।

4. पूर्व निरीक्षण : पूर्व में इस कार्यालय का निरीक्षण निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किया गया है, जो निम्नवत है

क्र0	पदाधिकारी का नाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण, टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन प्रतिवेदन भेजने की तिथि
1	श्री फूल सिंह, आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर	25.07.96	13.08.96	11.07.03
2	श्री प्रेमचन्द केशरवानी, जिलाधिकारी, जमुई	13.07.99	04.08.99	11.07.03
3	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, उप निदेशक कल्याण मुंगेर	05.08.05	15.09.05	01.12.05
4	श्री शिवभूषण ठाकुर जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई	04.03.02	06.03.02	31.12.03

उपरोक्त निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा कृत निरीक्षण संबंधी टिप्पणियों एवं अनुपालन प्रतिवेदनों को पदाधिकारीवार अलग–अलग रक्षी संचिका में संधारित किया गया है।

5. <u>स्थापना</u> : इस कार्यालय में स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की स्थिति निम्नवत है :

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त
1	जिला कल्याण पदाधिकारी	01	01	—
2	प्रखंड कल्याण पदाधिकारी	10	09	1
3	थ्लपिक	02	02	—
4	टनुसेवक	01	01	—
5	ग्रेन गोला चौकीदार	13	06	07
6	रसोईया	05	—	05
7	कल्याण शिक्षक	21	04	17

6. <u>पत्राचार</u> :

(क) निरीक्षण के दौरान प्राप्त पत्रों की पंजी विधिवत संधारित पायी गयी। अवलोकनोपरान्त ज्ञात हुआ कि दिनांक– 09.12.08 तक इस कार्यालय में कुल 1583 पत्र प्राप्त हुए।

(ख) निरीक्षण के क्रम में निर्गत पत्रों की पंजी का अवलोकन किया गया। दिनांक–10.12.08 तक कुल 906 पत्र निर्गत किये गये हैं। यह पंजी विधिवत संधारित है।

7. <u>अनुक्रमणी पंजी</u> : निरीक्षण के क्रम में अनुक्रमणी पंजी विधिवत संधारित पायी गयी। इस पंजी में कुल 34 संग्रह संख्या हैं।

8. कर्मपुस्त : निरीक्षण के क्रम में जिला कल्याण कार्यालय में कार्यरत सहायकों के कर्मपुस्तों का अवलोकन किया गया जो विहित प्रपत्र में संधारित नहीं था। जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे जिला स्थापना शाखा, जमुई से विहित प्रपत्र प्राप्त करें तथा उक्त प्रपत्र में विहित स्तंभों में विधिवत प्रविष्टियाँ कराना सुनिश्चित करें।

9. <u>आकस्मिक अवकाश पंजी</u> : कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए संधारित आकस्मिक अवकाश पंजी का अवलोकन किया गया। इसमें कई स्थानों पर अभिप्रमाणन पदाधिकारी (जिला कल्याण पदाधिकारी) द्वारा हस्ताक्षरित नहीं पाया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे आकस्मिक अवकाश पंजी में हस्ताक्षरित करना सुनिश्चित करें।

10. <u>बैठक की कार्यवाही पंजी</u> : इस पंजी के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि सदस्य सचिव की हैसियत से जिला कल्याण पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं किया गया है। अतः उन्हें निदेश दिया गया कि वैसे स्थान पर हस्ताक्षरित करना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त बैठक की कार्यवाही पंजी विधिवत संधारित नहीं पायी गई। जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी बैठक की कार्यवाही की मूल प्रति को पंजी में ठीक ढंग से दो–तीन दिनों के अंदर चिपकाना सुनिश्चित करें।

11. <u>विपत्र पंजी</u> : निरीक्षण के दौरान विपत्र पंजी का अवलोकन किया गया। विपत्र पंजी के अंतर्गत विहित स्तंभों में दिनांक–22.10.08 की तिथि में जिला कल्याण पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी को सख्त आदेश दिया गया कि वे इस प्रकार की भूल की पुनरावृति न करेंगे।

12. <u>अभिलेख पंजी</u> : अभिलेख पंजी का अवलोकन किया गया। यह पंजी दिनांक–20.11.08 तक संधारित है।

13. <u>भंडार पंजी</u> : निरीक्षण के दौरान यह पंजी विहित प्रपत्र में अद्यतन संधारित पायी गयी। इस पंजी में दिनांक–11.12.08 तक जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया गया है।

14. छात्रवृति : (क) अनुसूचित जाति : निरीक्षण के क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी से पूछने पर बताया कि महाविद्यालय/उच्च विद्यालय/प्राथमिक, मध्य विद्यालय/मुसहर जाति/तकनीकी छात्रवृति तथा खेलकूद छात्रवृति मद में, वर्ष 2008–09 में कुल 172.84 लाख रू0 राशि प्राप्त हुई है। इस राशि के विरूद्ध कुल 24,586 लाभार्थियों के बीच 92.65 लाख रूपये की राशि व्यय हुई है तथा 80.19 लाख रूपये की राशि अवशेष है। इस संबंध में प्रतिवेदन परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि छात्रवृति वितरण मद की अवशेष राशि को अविलम्ब व्यय कर प्रतिवेदित करें।

(ख) अनुसूचित जनजाति : निरीक्षण के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई ने बताया कि महाविद्यालय/उच्च विद्यालय/प्राथमिक, मध्य विद्यालय तथा खेलकूद छात्रवृति आदि मदों में कुल 37.24 लाख रूपये का आवंटन वर्ष 2008–09 में प्राप्त हुआ, जिसके विरूद्ध कुल 33.05 लाख रूपये की निकासी की गयी। इस राशि के विरूद्ध कुल 4662 लाभार्थियों के लिए 19.08 लाख रूपये की राशि व्यय की गयी। इस प्रकार कुल 18.16 लाख रूपये की राशि शेष बची हुई है। प्रतिवेदन परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि छात्रवृति वितरण मद की अवशेष राशि को अविलम्ब व्यय कर प्रतिवेदित करें।

(ग) पिछड़ी जाति : निरीक्षण अवधि में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूछने पर जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई ने बताया कि महाविद्यालय/उच्च विद्यालय/प्राथमिक, मध्य विद्यालय तथा तकनीकी छात्रवृति मदों में कुल 56.18 लाख रूपये का आवंटन वर्ष 2008–09 में प्राप्त हुआ। आवंटित राशि के विरूद्ध कुल 4097 लाभार्थियों के लिए मो0 17.03 लाख रूपये की राशि व्यय की गई तथा 39.15 लाख रूपये की राशि अवशेष है। संबंधित प्रतिवेदन परिशिष्ट ''ग'' पर संलग्न है।

जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि छात्रवृति मद की अवशेष राशि मो0 39.15 लाख रूपये का शीघ्र व्यय कर प्रतिवेदित करें।

15. <u>सामान्य रोकड़ पंजी</u> : निरीक्षण के क्रम में ज्ञात हुआ कि श्री अवधेश कुमार सिंह, लिपिक रोकड़ पंजियों के प्रभार में हैं। सामान्य रोकड़ पंजी का अवलोकन किया गया दिनांक 05.012.08 तक सामान्य रोकड़ पंजी में अन्त शेष कुल 1,70,93,170.06 (एक करोड़ सत्तर लाख तेरानवे हजार एक सौ सत्तर रूपये छः पैसे) रूपये था। इस राशि की विवरणी का अवलोकन किया गया

<u>(क). सहायक रोकड़ पंजी (छात्रवृति)</u> : सहायक रोकड़ पंजी का अवलोकन किया जिसमें मो0 54,07,017.00 (चौव्वन लाख सात हजार सतरह) रूपये की राशि अवशेष है। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2007–2008 की राशि अवशेष है। छात्रवृति की अवशेष राशि जो खर्च होने योग्य है, उसे खर्च करें तथा अवशेष राशि को वापस करने का निदेश दिया गया। इसी क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी के बताया कि दिनांक–19.12.08 को जिला छात्रवृति समिति की बैठक होगी। उक्त बैठक के दौरान छात्रवृति वितरण हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

<u>(ख). आई0सी0डी0एस0 (भवन)</u> : इस मद के लिए संधारित सहायक रोकड़ पंजी का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि कहीं भी जिला कल्याण

पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। जिला कल्याण पदाधिकारी को सख्त हिदायत दी गयी कि भविष्य में इस प्रकार की भूल की पुनरावृति न करेगें।

जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि लक्ष्मीपुर एवं बरहट प्रखंड में 10 ऑगनवाडी केन्द्रों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कराकर राशि भेज दी जायेगी।

(ग). विशेष अंगीभूत योजना : इस मद के लिए संधारित सहायक रोकड़ पंजी का अवलोकन किया। इस मद में मो0 24,20,150.00 (चौबीस लाख बीस हजार एक सौ पच्चास) रूपये की राशि अवशेष है। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि इस राशि का व्यय हो जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिला समन्वय समिति की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि संबंधित बैंकों में आवेदन पत्रों को भेजकर अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए ऋण स्वीकृत कराकर तथा एनेक्सर 'ए' के विहित प्रपत्र में प्राप्त कर जिला कल्याण पदाधिकारी को समर्पित करेगें।

(घ). सूद की राशि : निरीक्षण के क्रम में पूछने पर जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि सूद की राशि मो0–17,50,929.06 रूपये यूनियन बैंक, जमुई शाखा में जमा है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि इस राशि को कोषागार में जमा करा दें।

(ङ) माडा : निरीक्षण के दौरान माडा योजना से संबंधित कार्यालय में संधारित सहायक रोकड़ पंजी का अवलोकन किया गया। वर्ष 2006–07 की अवशेष राशि 5,79,392.00 है तथा वर्ष 2007–08 की अवशेष राशि 14,81,000.00 रूपये है। इस प्रकार माडा योजना अन्तर्गत कुल 20,60,392.00 की राशि सहायक रोकड़ पंजी में अवशेष है। इस अवशेष रशि के संबंध में पूछने पर जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि इस राशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर दी जायेगी।

(च) अत्याचार अनुदान : निरीक्षण के क्रम में संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकारी मुआवजा देने हेतु पुलिस अधीक्षक ने अपने पत्रांक–3417 दिनांक–14.11.08 द्वारा प्रस्ताव भेजा है, परन्तु एक माह की अवधि बीत जाने के बाबजूद जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्ताव से संबंधित संचिका उपस्थापित नहीं की गयी है। इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संबंधित अविलम्ब उपस्थापित करें तथा उन्हें सख्त हिदायत दी गयी, की वे भविष्य में इस प्रकार की भूल की पुनरावृत्ति कदापि न करेंगे।

(छ) महिला हेल्प लाइन : निरीक्षण अवधि में, जिला कल्याण कार्यालय में महिला हेल्प लाईन से संबंधित संधारित सहायक रोकड़ पंजी का अवलोकन किया गया। इस मद में मो0–3,55,000.00 रूपये की राशि अवशेष है। जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस अवशेष राशि का व्यय इसी वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही करना सुनिश्चित करें।

(ज) निरीक्षण के क्रम में पिछड़ी जाति ऋण से संबंधित सहायक रोकड़ पंजी का अवलोकन किया गया, जिसमें मो0–2,332.00 रूपये की राशि अवशेष है। जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस राशि को अविलम्ब कोषागार में जमा करें।

(झ) मातृत्व अनुदान : निरीक्षण के दौरान मातृत्व अनुदान से संबंधित सहायक रोकड़ पंजी के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि मो0–5,000.00 रूपये की राशि अवशेष पड़ी हुई है। पूछने पर जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि यह बहुत पहले की राशि है। जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे इस राशि को कोषागार में जमा कर दें।

16.सामान्य निर्देश :– जिला कल्याण पदाधिकारी को निम्नांकित निदेश दिये गये :–

(क) यूनियन बैंक, जमुई शाखा में सूद की राशि मो0–17,50,929.06 रूपये को अविलम्ब कोषागार में जमा करें तथा रोकड़ पंजी क्लोज करें।

(ख) पिछड़ी जाति ऋण मद में संधारित रोकड़ पंजी में मो0–2,332.00 रूपये को अविलम्ब कोषागार में जमा करें तथा रोकड़ पंजी क्लोज करें।

(ग) मातृत्व अनुदान मद में मो0–5,000.00 रूपये की राशि अवशेष है। जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया, कि वे इस राशि को अविलम्ब कोषागार में जमा करें तथा सहायक रोकड़ पंजी क्लोज करें।

जिलाधिकारी, जमुई।

ज्ञापांक– /गो0, दिनांक–

प्रतिलिपि– जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, जमुई।

ज्ञापांक– /गो0, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, जमुई।

ज्ञापांक– /गो0, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, जमुई।